ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड (मानवहत्या) रिपोर्ट 2023

संदर्भ: UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) ने 2021 और 2022 के आंकड़ों के साथ ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड (मानवहत्या) रिपोर्ट 2023 जारी की है।

- 2021 में वैश्विक स्तर पर प्रति घंटे औसतन 52 हत्याओं के साथ लगभग 458,000 हत्याएं हुई।
- 2021 में अनुमानित 176,000 पीड़ितों के साथ अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे अधिक हत्याएं दर्ज की गई; इसके बाद अमेरिका में 154,000, एशिया में 109,000, यूरोप में 17,000 और ओशिनिया में 1,000 पीड़ित हैं।
- प्रति 100,000 की जनसंख्या पर हत्या की दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में अमेरिका (15.0) में उच्च जोखिम का संकेत देती है , जो अफ्रीका (12.7), ओशिनिया (2.9), एशिया (2.3) और यूरोप (2.2) की दर से अधिक है।
- वैश्विक संदर्भ में, 2021 में सभी पीड़ितों में अफ्रीका की हिस्सेदारी 38%, अमेरिका की 34%, एशिया की 24%, यूरोप की 4% और ओशिनिया की 1% से कम थी।
- विशेष रूप से विश्व की आबादी के केवल 6% वाले ब्राज़ील और नाइजीरिया की वैश्विक नरसंहार में 20% हिस्सेदारी रही।
- मानवहत्या पीड़ितों की सबसे अधिक संख्या वाले शीर्ष 10 देशों ने वैश्विक आबादी का केवल 37% होने के बावजूद सामूहिक रूप से वैश्विक पीड़ितों का 58% प्रतिनिधित्व किया।

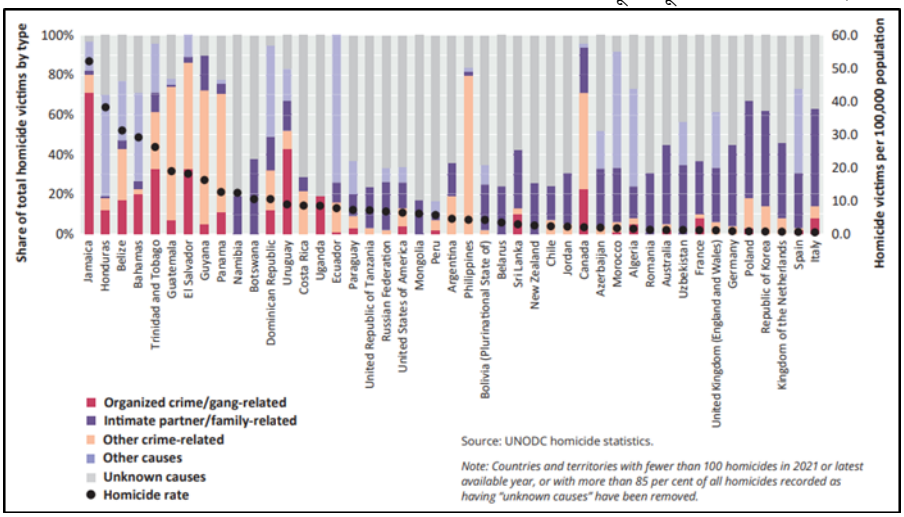

- 2021 में हत्याओं की संख्या में वृद्धि के लिए विभिन्न कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिसमें COVID-19-संबंधित प्रतिबंधों के आर्थिक प्रभाव और गिरोह-संबंधित एवं सामाजिक-राजनीतिक हिंसा में वृद्धि शामिल है।
- 2022 का उपलब्ध डेटा उत्तरी अमेरिका में हत्याओं में 5.4% की कमी दर्शाता है , जो पिछले दशक में बढ़ती हत्या दर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही में वृद्धिदर के विपरीत रुझान प्रदर्शित करती है।
- विभिन्न कैरिबियाई देशों ने 2021 और 2022 में मानव हत्या की हिंसा में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है। यह अपराध, तस्करी, शस्त्रों एवं गोला-बारूद तक पहुंच और क्षेत्र को नियंत्रित करने की मांग करने वाले गिरोहों के विस्तार और विखंडन से सहयुग्मित है।
- अनुमानों से स्पष्ट होता है कि 2021 में अफ्रीका में हत्याओं की संख्या सबसे अधिक थी और उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि मानव हत्या की दर में गिरावट नहीं हो रही है। इससे अफ्रीका महाद्वीप , अपनी युवा आबादी और असमानता के अंतराल को देखते हुए विशेष रूप से मानव हत्या के प्रति संवेदनशील हो गया है ।
- **भारत के संबंध में प्रमुख निष्कर्ष:**
  - **भारत में संपत्ति और भूमि विवाद** : UNODC के अनुसार, 2019 से 2021 के बीच भारत में मानव हत्या के लगभग 16.8% मामलों के लिए संपत्ति, भूमि या जल तक पहुंच संबंधी विवाद जिम्मेदार हैं।
  - **हत्या के मामलों में जल से संबंधित संघर्ष** : UNODC की ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड रिपोर्ट 2023 से स्पष्ट होता है कि 2019-21 के दौरान भारत में लगभग 0.5% या 300 हत्याएं जल से संबंधित संघर्षों के कारण हुई।
  - **जल पहुंच विवादों की भूमिका** : जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, कि एक प्रमुख कारक के रूप में जल पहुंच विवादों ने परिवारों के बाहर पारस्परिक हत्याओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - **जल-संबंधी हिंसा को बढ़ाने वाले कारक** : रिपोर्ट बताती है कि जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन के कारण जल तक पहुंच पर विवादों ने हिंसा को बढ़ाने में योगदान दिया है।
  - **प्राकृतिक संसाधनों की कमी का प्रभाव** : संसाधनों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण बढ़ती हिंसा का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि जल सहित प्राकृतिक संसाधनों की कमी का अंतरराष्ट्रीय हत्याओं पर प्रभाव पड़ता है।

FIG. 13 Interpersonal murders by type in India, 2019–2021

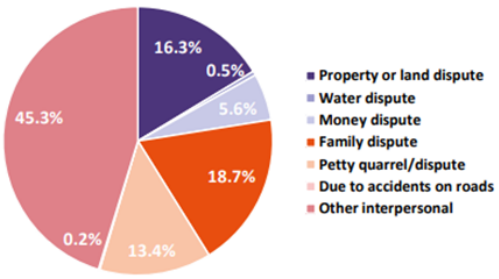

Source: National Crime Record Bureau, Ministry of Home Affairs, India.

Note: The other interpersonal category includes murders related to honour killing, love affairs, illicit relationships, personal vendetta or enmity, dowry, witchcraft, psychopath or serial killers, lunacy, road rage and rape.

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- **जल-संबंधित हिंसा की क्षेत्रीय घटनाएं** : पेसिफिक इंस्टीट्यूट के डेटा से स्पष्ट होता है कि 2015 के बाद से, विशेष रूप से दक्षिणी एशिया, उप-सहारा अफ्रीका और मध्य अमेरिका में जल-संबंधी हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **हत्याओं के विविध उद्देश्य** : रिपोर्ट पारस्परिक श्रेणी में हत्याओं के विभिन्न उद्देश्यों को रेखांकित करती है, जिनमें ऑनर किलिंग, प्रेम संबंध, अवैध संबंध, व्यक्तिगत प्रतिशोध, दहेज विवाद, जादू टोना, मनोरोगी, रोड रेज और बलात्कार शामिल हैं।
- **2021 में असाधारण मृत्यु दर**: UNODC की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दशकों में वैश्विक हत्याओं की संख्या में लगातार स्थिरता के बावजूद, वर्ष 2021 असाधारण रूप से घातक रहा।
- **पिछले वर्षों में जल-संबंधी संघर्ष**: 2020 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 2017-19 में जल-संबंधी संघर्षों में कम से कम 232 भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी। 2017 की तुलना में 2018 में ऐसे अपराध दोगुने हो गए।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023

संदर्भ: संसद के दोनों सदनों ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया, जो मूल रूप से इस वर्ष समाप्त होने वाले विशेष सुरक्षा प्रावधानों को 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ाएगा।

- **विशिष्ट समूहों के लिए सुरक्षा:** अगले तीन वर्षों तक दिल्ली में झुग्गीवासियों, फेरीवालों और अनधिकृत कॉलोनियों सहित कुछ श्रेणियों के विरुद्ध , विध्वंस या सीलिंग जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
- **मंत्री का स्पष्टीकरण:** आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख निवासियों को "अमानवीय" कार्यों से बचाने के लिए सुरक्षा प्रावधानों की समय सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- **कानून की पृष्ठभूमि:**
  - यह कानून अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद 2006 में दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए सीलिंग अभियान के प्रतिउत्तर में बनाया गया था।
  - मूल कानून, दिल्ली विधि (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2006 कुछ अनधिकृत निर्माणों को एक वर्ष के लिए संरक्षित करता था।
  - बाद के संशोधनों द्वारा सुरक्षा को 2014 तक बढ़ा दिया गया। एनडीए सरकार ने इसमें तीन संशोधन किए हैं, जिनमें से प्रत्येक ने सुरक्षा को एक बार में तीन साल के लिए बढ़ाया।
- **संशोधन विवरण:** हालिया संशोधन ने वर्ष 2023 को 2026 से बदल दिया है, जिससे 1 जून 2014 तक अनधिकृत निर्माणों को कवर करते हुए सुरक्षा को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।
- **संशोधन के उद्देश्य:**
  - संशोधन विभिन्न अनधिकृत निर्माणों में निवासियों के स्थानांतरण और पुनर्वास के लिए सुस्थापित व्यवस्था की आवश्यकता पर बल देता है।
  - यह अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने की चल रही प्रक्रिया और इन कॉलोनियों के लिए विकास नियंत्रण मानदंडों की अधिसूचना को संदर्भित करता है।
- **भविष्य की रणनीति:**
  - यद्यपि सुरक्षा अवधि बढ़ा दी गई है परंतु 2026 में एक और विस्तार की संभावना के बारे में प्रश्न बने हुए हैं।
  - कोविड-19 महामारी के कारण स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने में देरी ने इस प्रक्रिया को प्रभावित किया है। अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40-50 लाख व्यक्तियों में से केवल 4 लाख पंजीकृत हुए हैं।
  - ड्राफ्ट मास्टर प्लान दिल्ली-2041 में, अनधिकृत कॉलोनियों, मलिन बस्तियों आदि के लिए विकास मानदंडों का विवरण प्रदान करने की उम्मीद है।
- **अनुच्छेद 239AA:**
  - **संवैधानिक पृष्ठभूमि:**
    - दिल्ली को विशेष दर्जा देने के लिए संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 239AA जोड़ा गया था।
    - इस संशोधन में एस. बालकृष्णन समिति की सिफारिशों का पालन किया गया, जिसमें दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की मांग को संबोधित किया गया था।
  - **अनुच्छेद 239AA के प्रावधान:**
    - यह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के लिए एक उपराज्यपाल और एक विधान सभा की स्थापना करता है।
    - पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के अपवादों सहित केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू राज्य सूची या समवर्ती सूची के मामलों पर विधान सभा को विधायी शक्तियां प्रदान की गई हैं।
  - **विधायी शक्तियों पर सीमाएँ:**
    - विधान सभा का अधिकार संवैधानिक प्रावधानों के अधीन है।
    - इसमें पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित शक्तियां शामिल नहीं हैं, जो विधान सभा के दायरे से बाहर हैं।

- **उपराज्यपाल (LG) की भूमिका:** अनुच्छेद 239AA उपराज्यपाल की भूमिका को रेखांकित करता है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें या तो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा या संदर्भित मामले पर राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करना होगा।
- **मतभेदों का समाधान:**
  - उपराज्यपाल को 'किसी भी मामले' पर मंत्रिपरिषद के साथ किसी भी मतभेद को समाधान के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार है।
  - यह प्रावधान शासन संरचना में संघर्ष समाधान के लिए एक तंत्र स्थापित करता है।
- **दोहरी नियंत्रण गतिशीलता:**
  - उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच दोहरे नियंत्रण का अस्तित्व सत्ता संघर्ष पैदा करता है।
  - इस गतिशीलता के परिणामस्वरूप अक्सर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निर्णय लेने के अधिकार और शासन के मुद्दों पर टकराव होता रहता है।

2023 में निम्नतम CAG ऑडिट: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण

संदर्भ: वर्ष 2023 में संसद को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा तैयार किए गए केंद्र सरकार के खातों पर केवल 18 लेखा परीक्षा रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

➢ **केंद्र सरकार के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट:**

- वर्षवार विश्लेषण से संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट की संख्या में कमी का पता चलता है।
- 2019 से 2023 के बीच औसतन 22 रिपोर्टें प्रतिवर्ष प्रस्तुत की गईं, जबकि 2014 से 2018 तक प्रति वर्ष 40 रिपोर्टें प्रस्तुत की गई थीं।
- 2015 में सर्वाधिक 53 रिपोर्टें प्रस्तुत की गई थी। लेकिन पिछले छह वर्षों में से चार वर्षों में 20 या उससे कम रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं।

➢ **विभागवार रुझान:**

- रेलवे विभाग जैसे विभागों में भी इसी तरह की प्रवृति देखी गयी जहां पिछले पांच वर्षों में 14 रिपोर्टें ही प्रस्तुत की गई हैं। जबकि उससे पिछले पांच वर्षों में 27 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थीं।
- नागरिक विभाग ने पिछले पांच वर्षों में 34 लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित की, जो की उससे पिछले पांच वर्षों की अवधि में 42 से कम थी।
- रक्षा विभाग की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट 2017 की है।

➢ **लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का स्टाफ बल:**

- CAG की अध्यक्षता वाले लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कर्मचारियों की संख्या 2013-14 में 48,253 से घटकर 2021-22 में 41,675 हो गई।
- लेखा परीक्षा और लेखा विभाग अधिकारियों की संख्या 2014-15 में 789 से घटकर 2021-22 में 553 हो गई।
- ऑडिट और अकाउंटिंग स्टाफ 2013-14 में 26,000 से घटकर 2021-22 में 20,320 हो गया।
- स्वीकृत पदों की हिस्सेदारी के रूप में कुल कर्मचारी अपेक्षाकृत स्थिर रहे जिनकी संख्या में 66% से 75% के बीच उतार-चढ़ाव होता रहा।

➢ **लेखा परीक्षा और लेखा विभाग को बजट आवंटन:**

- लेखा परीक्षा और लेखा विभाग को आवंटित बजट, केंद्रीय बजट के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2017 में 0.19% से घटकर वित्तीय वर्ष 2024 में 0.13% हो गया।
- पूर्ण रूप से लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का बजट वित्तीय वर्ष 2017 में ₹3,780 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में ₹5,806 करोड़ हो गया, जो 53% की वृद्धि दर्शाता है यद्यपि यह उसी अवधि में केंद्रीय बजट के कुल व्यय में 128% की वृद्धि से काफी कम है।

➢ **CAG और उसके कार्य:**

- भारत का संविधान (अनुच्छेद 148) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के स्वतंत्र कार्यालय की स्थापना करता है।
- भारतीय लेखा और लेखा विभाग के प्रमुख के रूप में, CAG भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- CAG जनता के धन के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण रखता है।
- CAG का प्राथमिक कर्तव्य वित्तीय प्रशासन के दायरे में भारत के संविधान और संसदीय कानूनों को बनाए रखना है।
- **CAG के संवैधानिक प्रावधान**
  - अनुच्छेद 148 CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है।
  - अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों की रूपरेखा बताता है।
  - अनुच्छेद 150 CAG की सलाह पर राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप निर्धारित कर सकता है।
  - अनुच्छेद 151 में कहा गया है कि केंद्रीय खातों पर CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा।
- **नियुक्ति, कार्यकाल और निष्कासन:**
  - CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट के माध्यम से की जाती है।
  - CAG छह वर्षों तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहते हैं और किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं।

- दोनों सदनों के मतों के विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर ही साबित कदाचार या अक्षमता के कारण उन्हें हटाया जा सकता है।

- **स्वतंत्रता:**
  - संवैधानिक प्रावधान CAG के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, जिससे उन्हें राष्ट्रपति की इच्छानुसार हटाया नहीं जा सकता।
  - पद छोड़ने के बाद CAG किसी अन्य सरकारी पद के लिए अयोग्य होते हैं।
  - संसद CAG के वेतन और सेवा शर्तों को निर्धारित करती है, जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर करती है।
  - नियुक्ति के बाद वेतन, छुट्टी, पेंशन और सेवानिवृत्ति के अधिकारों में नकारात्मक परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं।
  - CAG कार्यालय के प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं जो संसदीय मतदान के अधीन नहीं होते हैं।
  - कोई भी मंत्री संसद में CAG के कार्यों का प्रतिनिधित्व या जिम्मेदारी नहीं ले सकता है।
- **CAG के कर्तव्य:**
  - CAG की लेखा परीक्षा में भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा से व्यय शामिल है।
  - लेखा परीक्षा में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के व्यापार, विनिर्माण, लाभ और हानि, खाते और सहायक खाते शामिल हैं।
  - CAG उन निकायों की लेखा परीक्षा करता है जो मुख्य रूप से केन्द्रीय या राज्य राजस्व, सरकारी कंपनियों और अन्य प्रासंगिक संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित होते हैं।
  - यह करों या शुल्कों की शुद्ध आय को प्रमाणित करता है इसका प्रमाणपत्र अंतिम होता है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

वाल्मिकी टाइगर रिजर्व

हाल ही में, बिहार के वाल्मिकी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने संरक्षित क्षेत्र की बड़ी बिल्लियों की संख्या में वृद्धि का श्रेय मानवीय गतिविधियों में कमी को दिया है, जिसमें इसके पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रतिबंध भी शामिल है।

वाल्मिकी टाइगर रिजर्व के बारे में:

- वाल्मिकी टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित है।
- इसकी सीमा उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम में गंडक नदी से लगती है, इसमें वाल्मिकी राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मिकी वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।
- इसमें साल, सिहोर, सागौन, बांस, सेमल, मंदार, शीशम, जामुन, गूलर और विभिन्न अन्य प्रजातियों जैसी समृद्ध वनस्पतियाँ शामिल हैं।
- यह अभ्यारण्य बाघ, तेंदुए, छोटी बिल्लियाँ, हिरण प्रजातियाँ, जंगली सूअर , तीतर, पहाड़ी मैना, पैराडाइज़ फ्लाई कैचर और हिमालयन बुलबुल जैसे अद्वितीय पक्षियों का आवास है।
- 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार इस रिजर्व में 32 बाघों का वास है।

पुनौरा धाम मंदिर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में सीतामढी के पुनौरा धाम में देवी सीता की जन्मस्थली के लिए 72 करोड़ रुपये की विकास योजना शुरू की।

पुनौरा धाम मंदिर के बारे में:

- पुनौरा धाम बिहार के सीतामढी जिले में एक हिंदू मंदिर है।
- यह मंदिर माता सीता का जन्मस्थान माना जाता है।
- मंदिर परिसर में एक राम जानकी मंदिर, सीता कुंड नामक एक तालाब और एक हॉल शामिल है।
- लगभग एक दशक तक चले हालिया शोध में पाया गया कि इसे लगभग 200 साल पहले एक ऋषि ने बनाया था।
- पनौरा (पुनौरा) को सीता का जन्मस्थान होने का दावा 1877 में सर विलियम विल्सन हंटर के ए स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ बंगाल, वॉल्यूम 13 में किया गया था।

ग्रीनवाशिंग

हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम ने एयर फ्रांस, लुफ्थांसा और एतिहाद के विज्ञापनों पर "ग्रीनवाशिंग" के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इन विमानन कंपनियों पर ग्राहकों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है कि वे अपने पर्यावरणीय प्रयासों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं।

ग्रीनवाशिंग के बारे में:

- ग्रीनवाशिंग एक भ्रामक प्रथा है जहां कंपनियां या संस्थाएं एक भ्रामक धारणा बनाती हैं कि उनके उत्पाद, सेवाएं या कार्रवाई पर्यावरण के अनुकूल हैं या उत्सर्जन कम करने में योगदान करती हैं।
- इसमें प्राय: भ्रामक विज्ञापन, पर्यावरणीय चित्रण या पर्यावरणीय रूप से हानिकारक गतिविधियों को छिपाते हुए संधारणीय पहलुओं को उजागर करना शामिल होता है।
- इसमें बिना सबूत के पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं का अर्थ लगाना और पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए सकारात्मक प्रभावों का प्रचार किया जाता है।
- यह पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को गुमराह करता है और वास्तविक प्रयासों से ध्यान हटाता है। यह पर्यावरणीय नुकसान और कार्बन पदचिह्नों को कम करने में प्रगति को बाधित करता है।

क्रिसमस ट्री गैलेक्सी क्लस्टर

हाल ही में, नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किए गए 4.3 बिलियन प्रकाश-वर्ष दूर स्थित क्रिसमस ट्री गैलेक्सी क्लस्टर की एक छवि का अनावरण किया है।

क्रिसमस ट्री गैलेक्सी क्लस्टर के विषय में:

- क्रिसमस ट्री गैलेक्सी क्लस्टर, एक समग्र छवि है जो हबल से दृश्य प्रकाश और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से अवरक्त प्रकाश को सम्बद्ध करती है।
- यह छवि MACS0416 आकाशगंगा समूह को दिखाती है, जो पृथ्वी से लगभग 4.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है।
- यह न्यू जनरल कैटलॉग 2264 का भी नाम है, जो आकाशगंगा में नवीन सितारों का एक समूह है।
- क्लस्टर एनजीसी 2264 की धुंधली गैसों और आसपास के आणविक बादल से बने तारों के भीतर स्थित है।
- यह क्लस्टर एक टिमटिमाती संरचना जैसा दिखता है, जो क्रिसमस रोशनी की याद दिलाते हैं। इसमें 14 टिमटिमाते सितारे प्रदर्शित होते हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के माध्यम से देखा जाता है।

चर्चित स्थल

आइसलैंड

हाल ही में, कई हफ्तों के तीव्र भूकंपों के बाद, आइसलैंड के रेक्जेन्स प्रायद्वीप पर एक ज्वालामुखी उद्गार देखा गया।

आइसलैंड (राजधानी: रेक्जाविक)

अवस्थिति : आइसलैंड एक नॉर्डिक द्वीप देश है जो आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागरों के मध्य भाग पर अवस्थित है।

महत्व:

- यह 1949 में अपनी स्थापना के बाद से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का सदस्य रहा है।
- इसकी तटरेखा ग्रीनलैंड सागर (उत्तर), नॉर्वेजियन सागर (पूर्व), अटलांटिक महासागर (दक्षिण और पश्चिम) और डेनमार्क जलडमरूमध्य (उत्तर-पश्चिम) से लगती है, जो इसे ग्रीनलैंड से अलग करने वाली सीमा के रूप में कार्य करती है।

भौतिक विशेषताऐं:

- यह देश मध्य-अटलांटिक रिज पर स्थित है, जो थिंगवेलिर नेशनल पार्क (Þingvellir National Park) जैसी दरार घाटियों से दिखाई देता है।
- आइसलैंड का सबसे ऊँचा भौगोलिक बिंदु ह्वन्नादलशुकुर शिखर (Hvannadalshnúkur Peak) है।
- प्जोर्सा नदी (Pjorsa River) आइसलैंड की सबसे लंबी नदी है।

चर्चित व्यक्तित्व

डॉ. वी मोहिनी गिरी

डॉ. वी मोहिनी गिरि (15 जनवरी 1938-19 दिसंबर 2023)

वह एक भारतीय सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा कार्यकर्ता थीं।

योगदान:

- उन्होंने 1979 में गिल्ड ऑफ सर्विस की स्थापना की, जो महिलाओं, वंचित बच्चों और युद्ध विधवाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित थी।
- उन्होंने 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद 1972 में वॉर विडोज़ एसोसिएशन की शुरुआत की।
- वह दक्षिण एशिया में शांति के लिए महिला पहल (Women's Initiative for Peace in South Asia) की संस्थापक ट्रस्टी तथा नवदान्य, जस्टिस सुनंदा भंडारे फाउंडेशन और FAEA जैसे विभिन्न संगठनों की ट्रस्टी थीं।
- उन्होंने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राष्ट्रीय महिला आयोग दोनों के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

पुरस्कार और सम्मान:

- डॉ. गिरी को उनके काम के लिए 2007 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
- "स्टिल वी राइज: द पैशन एंड कम्पैशन ऑफ मोहिनी गिरी" नामक एक डॉक्युमेंट्री के माध्यम से उनके योगदान और गिल्ड फॉर सर्विस के 50 साल के योगदान का उत्सव मनाया गया।

नैतिक मूल्य: सहानुभूति और करुणा, ईमानदारी और जिम्मेदारी, महिलाओं के अधिकारों का समर्थन आदि।

POINTS TO PONDER

- मध्य प्रदेश विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? - **पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर**
- हाल ही में नीलम सरन गौड़ की किस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? - **रेक्युम इन राग जानकी (Requiem in Raga Janki)**
- सतह से हवा में मार करने के लिए SAMAR-1 प्रणाली किस प्रकार की मिसाइलों का उपयोग करती है? - **रूसी विम्पेल R-73E इन्फ्रारेड-निर्देशित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें**
- समाचारों में चर्चित गेलेफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र किस देश की सीमा से जुड़ेगा? - **असम (भारत)**
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? - **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**